बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 436758 पटना, दिनांक 14-08-19

BRDS ग्रा0वि0-मनरेगा-03/2019

प्रेषक,

सी0 पी0 खण्डूजा,
आयुक्त, मनरेगा।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,
बिहार ।

विषय:- **प्रत्येक प्रखंड के चार पंचायतों में वर्क साईट पर ही मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति Nregasoft Mobile Monitoring System (NMMS) के माध्यम से दर्ज करने के संबंध में।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 716 दिनांक 20.06.19

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक 716 दिनांक 20.06.19 द्वारा प्रति प्रखंड दो पंचायत में Mobile Monitoring System लागू करने का निदेश दिया गया था। इस संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 07.08.19 को आयोजित विडियो कान्फ्रेसिंग में निदेश दिया गया कि प्रत्येक प्रखंड के चार पंचायतों में Nregasoft Mobile Monitoring System (NMMS) के माध्यम से मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति दर्ज किया जाय। यह व्यवस्था लागू करने के लिए निम्न दिशा- निदेश दिये जा रहे है-

- Mobile Monitoring System लागू करने हेतु वैसे पंचायतों का चयन किया जाय जहॉ के पंचायत रोजगार सेवक Mobile App प्रयोग करने में सक्षम हो।
- एक ही पंचायत रोजगार सेवक के दो पंचायत के प्रभार में होने और दोनों पंचायतों के चयन की स्थिति में Mobile Monitoring System अन्तर्गत Register होने हेतु दो Mobile की आवश्यकता होगी। इसलिए पंचायत रोजगार सेवक के अतिरिक्त प्रभार क्षेत्र वाले पंचायतों में से किसी एक का ही चयन किया जाय।
- Mobile Registration एवं Attendance Filling की प्रक्रिया निम्न प्रकार से होगी-
    - सर्वप्रथम Nregasoft में PO Login में D.20 में Device Management अन्तर्गत Device Registration हेतु आवश्यक Details की entry करते हुए चुने हुए Gram Panchayat Level Role Assign करना है | Role Assign करते ही सम्बंधित पंचायत का User id. एवं Password पंचायत रोजगार सेवक के Register Mobile पर प्राप्त होगा | (कृपया भारत सरकार का संलग्न प्रस्तुतीकरण देखे)।

- Mobile Monitoring System application NREGASoft से चयनित ग्राम पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक के मोबाइल में install किया जायेगा एवं Registration के उपरांत प्राप्त User id. एवं Password का उपयोग करते हुए Login किया जायेगा |
- Login करने के पश्चात पंचायत रोजगार सेवक के मोबाइल में Work Code, Muster Roll No, Langitude-Latitude, Date of attendance तथा जॉबकार्डधारी का नाम एवं जॉब कार्ड संख्या दिखेगा।
- दिए गए options का प्रयोग करते हुए मनरेगा अंतर्गत किये जा रहे कार्यो का कार्यस्थल पर ही Attendance Mobile Monitoring System के माध्यम से दर्ज किया जा सकेगा।
- Mobile Monitoring System के माध्यम से Current date या Current date से एक सप्ताह का Attendance भरा जा सकेगा।
- Mobile Monitoring System के माध्यम से कार्य स्थल की फोटो के साथ या बिना फोटो के ही उपस्थिति बनाया जा सकता है।
- इसके तहत मस्टर चक्र के अंतिम दिन का Attendance app के माध्यम से भरा जाना अनिवार्य है।
- Device का Date and Time mismatch होने की स्थिति में Attendance नहीं भरा जा सकेगा।

- जिन पंचायतों में Mobile Monitoring System के माध्यम से मजदूरों की उपस्थिति दर्ज की जायेगी वहाँ सामानान्तर व्यवस्था के तहत अगले तीन माह तक पूर्व की भाँति ही मस्टर रौल पर भी उपस्थिति दर्ज किया जायेगा एवं सभी संबंधित व्यक्तियों यथा मजदूरों, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत तकनीकी सहायक आदि का हस्ताक्षर लिया जायेगा।
- Mobile Monitoring System के माध्यम यदि उपस्थिति दर्ज करने मे कोई त्रुटि होती है तो PO Login से पूर्व प्रक्रिया के अनुसार उसमें सुधार किया जा सकता है।
- तीन माह पश्चात भौतिक रूप से मस्टर रौल पर उपस्थिति की प्रक्रिया समाप्त कर दी जायेगी।
- Mobile Monitoring System से संबंधित प्रतिवेदन NREGASoft पर R.21 के तहत उपलब्ध है। अभी तक एक मात्र पुर्णिया जिला के बनमनखी, धमदाहा और कसबा प्रखंडों के द्वारा संयुक्त रूप से 5 Mobile Register किया गया है।

अत: अनुरोध है कि अपने - अपने जिले के प्रखंडों के चार पंचयतों का चयन करते हुए दिनांक 22.08.19 तक संबंधित पंचायतों के पंचायत रोजगार सेवक का po login के माध्यम से role assign करते हुए संबंधित पंचायत का user ID and Password प्राप्त कर NREGASoft से Mobile Monitoring System application पंचायत रोजगार सेवक के Mobile

पर install करवाते हुए वर्क साईट पर ही मनरेगा मजदूरों की उपस्थिति दर्ज करने हेतु उपरोक्त दिशा - निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त

विश्वासभाजन

(सी0 पी0 खण्डूजा)
आयुक्त मनरेगा।

ज्ञापांक 436758 पटना, दिनांक 14-08-19 BRDS-
ग्रा.वि. - मनरेगा- 01/19

प्रतिलिपि :- श्री सरोज कुमार, निदेशक, ई-गवर्नेस एवं आई0टी0, बी0आर0डी0एस0 बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि Mobile Monitoring System का अनुश्रवण अपने स्तर से करते हुए इसकी प्रगति सुनिश्चित की जाय ।

आयुक्त, मनरेगा

ज्ञापांक 436758 पटना, दिनांक 14-08-19
BRDS- ग्रा.वि. - मनरेगा- 01/19

प्रतिलिपि :- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

14.08

आयुक्त, मनरेगा